


10/11/2020

वकील वादी उपस्थित नही हुये ना ही  
वादी स्वयं उपस्थित हुआ। पत्रावली  
में कई बार आवाज लगवाई गई।  
बार बार आवाज लगवाई गई जो ई  
भी उपस्थित नही हुआ। माल दावा वादी  
अदम हाजिरी अदम पैर की मे रकारिज  
किया जाता है। पत्रावली के सब भुगत  
लेफ्ट कम्प्ले से कम लेकर वाद नकमील  
दारिबल दफ्तर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करौली (राज०)